

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
---------------	---------------------------------	--

दर्ज किये गये हुये तथा उसी समय
 इसके लिए कार्यवाही किये गये किन्तु
 आवेदन की मूल्य भिन्न युक्ति है।
 जिससे यह भी पता नहीं चल सकता
 कि आवेदन की शर्तों की जांच की गयी
 या नहीं। सम्बन्धित आवेदन की शर्तों
 की जांच नहीं की गयी। पिछले उसी
 समय जो रखा गया था कि जांच करना
 नहीं होगा। आवेदन के 50 वर्ष
 उपरान्त इन सब उपकरणों को कोई भी
 अनुसंधान किया जा सकता है इस बात
 साफ है। पुनः आवेदन सलाहकार
 समिति की बैठक के तब ही इस पर
 कोई विचार किया जा सकता है।

कता यह उपकरण इस विधि
 के साथ निर्धारित। कता किया जा
 है कि आवेदन सलाहकार समिति की पत्र
 बैठक के तब ही इस पर विचार ~~अनुसंधान~~
 के माध्यम से किया जावे। पत्रलिपि
 फॉर्मल सुमाट इफ्त वाद तब ही
 शक्ति देकर है। हुकम सुनाया गया

राजस्थान न्यायिक प्रणाली अधिनियम
 संख्या 2016

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलापुर)